विद्युत मंत्रालय
मांग संख्या 77
विद्युत मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	16889.68	2960.43	19850.11	18956.36	3365.92	22322.28	19073.82	2787.92	21861.74	19833.20	2048.08	21881.28
वसूलियां	-3357.05	-917.22	-4274.27	-5481.66	-965.80	-6447.46	-5021.12	-965.80	-5986.92	-5040.66	-965.80	-6006.46
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	13532.63	2043.21	15575.84	13474.70	2400.12	15874.82	14052.70	1822.12	15874.82	14792.54	1082.28	15874.82
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	43.58	...	43.58	48.39	...	48.39	47.40	...	47.40	51.57	...	51.57
	-0.02	...	-0.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*43.56*	...	*43.56*	*48.39*	...	*48.39*	*47.40*	...	*47.40*	*51.57*	...	*51.57*
2. सांविधिक प्राधिकरण												
2.01 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	115.81	...	115.81	122.15	...	122.15	125.57	...	125.57	130.66	...	130.66
2.02 संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा के लिए जेईआरसी की स्थापना	7.30	...	7.30	9.35	...	9.35	9.35	...	9.35	9.65	...	9.65
2.03 बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण	11.75	...	11.75	17.14	...	17.14	17.14	...	17.14	17.40	...	17.40
2.04 सीईआरसी निधि	...	...	...	66.50	...	66.50	66.50	...	66.50	66.50	...	66.50
2.05 घटाएं- सीईआरसी द्वारा दी गई राशि	...	...	...	-66.50	...	-66.50	-66.50	...	-66.50	-66.50	...	-66.50
निवल	*134.86*	...	*134.86*	*148.64*	...	*148.64*	*152.06*	...	*152.06*	*157.71*	...	*157.71*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**178.42**	**...**	**178.42**	**197.03**	**...**	**197.03**	**199.46**	**...**	**199.46**	**209.28**	**...**	**209.28**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता												
3. ऊर्जा संरक्षण योजनाएं												
3.01 ऊर्जा संरक्षण	26.50	...	26.50	110.00	...	110.00	110.00	...	110.00	109.99	...	109.99
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना												
4. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	3799.80	...	3799.80	4066.00	...	4066.00	4066.00	...	4066.00	4500.00	...	4500.00
5. सहज बिजली हर घर योजना- सौभाग्य	2750.00	...	2750.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	**6549.80**	**...**	**6549.80**	**4066.00**	**...**	**4066.00**	**4066.00**	**...**	**4066.00**	**4500.00**	**...**	**4500.00**
एकीकृत विद्युत विकास योजना												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6. एकीकृत विद्युत विकास योजना												
6.01 केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) को अंतरण	2812.59	...	2812.59	4380.45	900.00	5280.45	4380.45	900.00	5280.45	4400.00	900.00	5300.00
6.02 आईपीडीएस अनुदान	2812.59	...	2812.59	4380.45	...	4380.45	4762.72	...	4762.72	4400.00	...	4400.00
6.03 आईपीडीएस ऋण	...	1734.43	1734.43	...	900.00	900.00	...	900.00	900.00	...	900.00	900.00
6.04 सहज बिजली हर घर योजना (शहरी)-सौभाग्य	216.90	...	216.90	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6.05 घटाएं- केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) से पूरी की गई राशि	-2812.59	-867.22	-3679.81	-4380.45	-900.00	-5280.45	-4380.45	-900.00	-5280.45	-4400.00	-900.00	-5300.00
6.06 स्मार्ट मीटरिंग हेतु स्कीम	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
जोड़- एकीकृत विद्युत विकास योजना	*3029.49*	*867.21*	*3896.70*	*4380.46*	*900.00*	*5280.46*	*4762.73*	*900.00*	*5662.73*	*4400.00*	*900.00*	*5300.00*
पावर सिस्टम्स का सुदृढ़ीकरण												
7. पावर सिस्टम्स का सुदृढ़ीकरण												
7.01 स्मार्ट ग्रिड	7.13	...	7.13	62.15	...	62.15	39.55	...	39.55	40.00	...	40.00
7.02 हरित ऊर्जा कॉरिडोर	...	105.00	105.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	33.00	33.00
7.03 राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए ब्याज सब्सिडी	108.00	...	108.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	200.00	...	200.00
7.04 कारगिल के माध्यम से श्रीनगर से लेह दौ सौ बीस केवी ट्रांसमिशन लाइन	...	500.00	500.00	...	160.47	160.47	...	160.47	160.47	...	...	...
7.05 पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर (कार्यक्रम घटक)	582.50	...	582.50	313.50	...	313.50	430.00	...	430.00	430.00	...	430.00
7.06 पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर (ईएपी घटक)	700.00	...	700.00	256.50	...	256.50	340.00	...	340.00	340.00	...	340.00
7.07 अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	800.00	...	800.00	595.42	...	595.42	800.00	...	800.00	800.00	...	800.00
7.08 वास्तविक वसूली	-0.44	...	-0.44	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*2197.19*	*605.00*	*2802.19*	*1302.57*	*175.47*	*1478.04*	*1684.55*	*175.47*	*1860.02*	*1810.00*	*33.00*	*1843.00*
पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड												
8. पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड												
8.01 पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड को अंतरण	544.00	...	544.00	1034.71	...	1034.71	574.17	...	574.17	574.16	...	574.16
8.02 पावर सिस्टम के विकास के लिए योजना	544.00	...	544.00	582.08	...	582.08	121.48	...	121.48	121.48	...	121.48
8.03 गैस आधारित उत्पादन क्षमता का उपयोग	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
8.04 ऋण पर ब्याज का भुगतान	...	...	...	452.62	...	452.62	452.68	...	452.68	452.68	...	452.68
8.05 घटाएं- पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड से प्राप्त राशि	-544.00	...	-544.00	-1034.71	...	-1034.71	-574.17	...	-574.17	-574.16	...	-574.16
निवल	*544.00*	...	*544.00*	*1034.71*	...	*1034.71*	*574.17*	...	*574.17*	*574.16*	...	*574.16*
9. सुधार आधारित वितरण स्कीम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**12346.98**	**1472.21**	**13819.19**	**10893.74**	**1075.47**	**11969.21**	**11197.45**	**1075.47**	**12272.92**	**11394.16**	**933.00**	**12327.16**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
10. प्रशिक्षण और अनुसंधान												
10.01 केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	94.34	...	94.34	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10.02 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	100.55	...	100.55	69.00	...	69.00	50.00	...	50.00	82.34	...	82.34
जोड़- प्रशिक्षण और अनुसंधान	*194.89*	...	*194.89*	*269.00*	...	*269.00*	*250.00*	...	*250.00*	*282.34*	...	*282.34*
11. संरक्षण और ऊर्जा दक्षता												
11.01 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कार्यक्रम घटक)	10.49	...	10.49	100.16	...	100.16	100.16	...	100.16	100.16	...	100.16
11.02 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ईएपी घटक)	3.21	...	3.21	3.21	...	3.21	3.21	...	3.21	3.21	...	3.21
जोड़- संरक्षण और ऊर्जा दक्षता	*13.70*	...	*13.70*	*103.37*	...	*103.37*	*103.37*	...	*103.37*	*103.37*	...	*103.37*
जोड़-स्वायत्त निकाय	**208.59**	**...**	**208.59**	**372.37**	**...**	**372.37**	**353.37**	**...**	**353.37**	**385.71**	**...**	**385.71**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
12. सीपीएसयू को सहायता												
12.01 नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	...	482.00	482.00	...	554.64	554.64	...	554.64	554.64	...	84.27	84.27
12.02 टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी)	...	28.00	28.00	...	21.00	21.00	...	21.00	21.00	...	...	...
12.03 नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको)	...	61.00	61.00	...	684.00	684.00	...	171.00	171.00	...	...	...
12.04 चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी 2015 के तहत पाकुल दुल हाइड्रोपावर हेतु केंद्रीय सहायता	100.00	...	100.00	351.78	...	351.78	322.85	...	322.85	373.65	...	373.65
12.05 भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (पीएफसी बांड)	376.40	...	376.40	376.40	...	376.40	376.40	...	376.40	376.40	...	376.40
12.06 भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (आरईसी बांड)	322.24	...	322.24	1185.03	...	1185.03	1504.82	...	1504.82	1920.92	...	1920.92
12.07 एनटीपीसी द्वारा लौहारी नागपाला हाइड्रो पावर पर पहले ही किए गए किसी व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	104.40	...	104.40
जोड़- सीपीएसयू को सहायता	*798.64*	*571.00*	*1369.64*	*1913.22*	*1259.64*	*3172.86*	*2204.08*	*746.64*	*2950.72*	*2775.37*	*84.27*	*2859.64*
13. एनटीपीसी के लिए कोयला क्षेत्रों का अधिग्रहण												
13.01 कोयला असर क्षेत्रों का अधिग्रहण	...	50.00	50.00	...	65.80	65.80	...	65.80	65.80	...	65.80	65.80
13.02 कम वसूली	...	-50.00	-50.00	...	-65.80	-65.80	...	-65.80	-65.80	...	-65.80	-65.80
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**798.64**	**571.00**	**1369.64**	**1913.22**	**1259.64**	**3172.86**	**2204.08**	**746.64**	**2950.72**	**2775.37**	**84.27**	**2859.64**
अन्य												
14. सीपत, छत्तीसगढ़ में एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
15. केओडब्ल्यूईपीओ मामले में कानूनी फर्म पीएंडए लॉ एसोसिएट्स को भुगतान	...	...	...	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	28.00	...	28.00
16. एसडीएमसी - बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को भुगतान	...	...	...	97.83	...	97.83	97.83	...	97.83	...	...	...
17. सक्षम अवसंरचना अर्थात सड़कों एवं पुलों के लिए लागत सहायता	...	...	...	...	65.00	65.00	...	...	...	...	65.00	65.00
18. बाढ़ मंदन भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
19. विवाद निपटान प्राधिकरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**98.34**	**65.01**	**163.35**	**98.34**	**0.01**	**98.35**	**28.02**	**65.01**	**93.03**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	1007.23	571.00	1578.23	2383.93	1324.65	3708.58	2655.79	746.65	3402.44	3189.10	149.28	3338.38
कुल जोड़	*13532.63*	*2043.21*	*15575.84*	*13474.70*	*2400.12*	*15874.82*	*14052.70*	*1822.12*	*15874.82*	*14792.54*	*1082.28*	*15874.82*

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. विद्युत	13489.07	...	13489.07	11853.39	...	11853.39	11757.50	...	11757.50	12763.47	...	12763.47
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	43.56	...	43.56	48.39	...	48.39	47.40	...	47.40	51.57	...	51.57
3. विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	...	694.00	694.00	...	261.48	261.48	...	196.48	196.48	...	98.01	98.01
4. विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	...	1349.21	1349.21	...	1364.64	1364.64	...	1364.64	1364.64	...	894.27	894.27
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**13532.63**	**2043.21**	**15575.84**	**11901.78**	**1626.12**	**13527.90**	**11804.90**	**1561.12**	**13366.02**	**12815.04**	**992.28**	**13807.32**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1572.92	...	1572.92	2247.80	...	2247.80	1977.50	...	1977.50
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	684.00	684.00	...	171.00	171.00	...	...	...
7. पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ऋण	...	...	...	...	90.00	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	90.00
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**1572.92**	**774.00**	**2346.92**	**2247.80**	**261.00**	**2508.80**	**1977.50**	**90.00**	**2067.50**
कुल जोड़	**13532.63**	**2043.21**	**15575.84**	**13474.70**	**2400.12**	**15874.82**	**14052.70**	**1822.12**	**15874.82**	**14792.54**	**1082.28**	**15874.82**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	...	27363.24	27363.24	...	20000.00	20000.00	...	20000.00	20000.00	...	21000.00	21000.00
2. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	482.00	3748.41	4230.41	554.64	3251.36	3806.00	554.64	4644.65	5199.29	84.27	5317.02	5401.29
3. दामोदर वैली कारपोरेशन लिमिटेड	...	764.85	764.85	...	1835.26	1835.26	...	1410.41	1410.41	...	2342.00	2342.00
4. उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	61.00	691.99	752.99	684.00	241.79	925.79	171.00	773.64	944.64	...	564.36	564.36
5. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	...	854.04	854.04	...	1200.00	1200.00	...	1200.00	1200.00	...	2880.00	2880.00
6. टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	28.00	957.03	985.03	21.00	879.00	900.00	21.00	918.00	939.00	...	1781.00	1781.00
7. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	25807.00	25807.00	...	15000.00	15000.00	...	15000.00	15000.00	...	10500.00	10500.00
8. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	...	13827.00	13827.00	...	...	...	...	8500.00	8500.00	...	5500.00	5500.00
9. विद्युत वित्त निगम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**571.00**	**74013.56**	**74584.56**	**1259.64**	**42407.41**	**43667.05**	**746.64**	**52446.70**	**53193.34**	**84.27**	**49884.38**	**49968.65**

1. **सचिवालय:** विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के सचिवालय के लिए स्थापना संबंधी मामलों पर व्यय के लिए है।

2.01. **सांविधिक प्राधिकरण:** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) एक सांविधिक संगठन के रूप में विद्युत क्षेत्र की समग्र आयोजना, समन्वय, जल विद्युत स्कीमों को सहमति प्रदान करने, परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और उनको समय से पूरा करने में सहायता देने, तकनीकी मानकों, सुरक्षा अपेक्षाओं, ग्रिड मानकों के साथ ही साथ, देश में विद्युत क्षेत्र में लगने वाले मीटरों की स्थापना के लिए शर्तों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।

2.02. **सांविधिक प्राधिकरण:** केंद्र सरकार ने दिल्ली को छोड़कर गोवा एवं सभी संघ राज्यक्षेत्रों के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) का गठन किया है। संयुक्त आयोग के व्यय का वहन केंद्र सरकार और गोवा सरकार द्वारा 6:1 के अनुपात में किया जाएगा।

2.03. **सांविधिक प्राधिकरण:** विद्युत अधिनियम,2003 के तहत, केन्द्रीय सरकार ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की है। यह विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन न्याय-निर्णयन अधिकारी या समुचित आयोगों के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अधीन, एपटेल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपीलीय न्यायाधिकरण है।

2.04. **सांविधिक प्राधिकरण:** सीईआरसी एक विद्यमान विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के प्रावधान के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है और विद्युत अधिनियम, 2003 (जिसके पूर्ववर्ती ईआरसी अधिनियम, 1998 अन्यथा को निरस्त कर दिया गया है) के तहत जारी रहा। सीईआरसी के मुख्य कार्य केंद्र सरकार द्वारा स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनियों के अलावा जनरेटिंग कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना है, अगर ऐसी सृजनशील कंपनियां दर्ज हों या अन्यथा अंतरराज्यीय संचरण और व्यापार के लिए लाइसेंस प्रदान करने और राष्ट्रीय बिजली नीति और टैरिफ नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए ट्रांसमिशन उपयोगिताओं के टैरिफ सहित अंतर-राज्य संचरण को विनियमित करने के लिए, एक से अधिक राज्यों में बिजली के उत्पादन और बिक्री के लिए समग्र योजना शामिल है।

3.01. **ऊर्जा संरक्षण:** इस निधि का उपयोग (1) जन साधारण के लिए प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया माध्यमों से ऊर्जा संरक्षण संबंधी जागरुकता लाने के लिए निधियों का उपयोग। (2) ऊर्जा संरक्षण पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं जारी रखने हेतु।(3) नेशनल मिशन फॉर इन्हैंस्ड एनर्जी एफिसिएंशी(एनएमईईई) को कार्यान्वित करने और (4) निवेशों का मार्ग खोलने के लिए ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार तैयार करने और उसे स्थिर बनाने के लिए प्रयासों को बढ़ाने हेतु भी निधि का उपयोग किया जाएगा। (5) संचालन, प्रोजेक्ट प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में मेधावी प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए एमओपी द्वारा शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने वाले स्टेशनों, संचरण और वितरण उपयोगिता और ग्रामीण वितरण फ्रेंचाइजी द्वारा किया जाएगा।

4. **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना:** भारत सरकार ने एक नई योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की है जिसका उद्देश्य (क) कृषि और गैर-कृषि संबंधी उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग में डिस्कॉमों की सुविधा के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करना (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन और (ग) ग्रामीण विद्युतीकरण करना है। इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए कार्यों में फीडर पृथक्करण, नए सब-स्टेशन बनाना, माइक्रो ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क का प्रावधान, एचटी/एलटी लाइनें, सब-स्टेशनों का संवर्द्धन और सभी स्तरों पर मीटरिंग शामिल है। स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार स्कीम के कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉमों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। निजी क्षेत्र डिस्कॉमों सहित सभी डिस्कॉम स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई को ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में डीडीयूजीजेवाई में शामिल किया गया है।

6. **एकीकृत विद्युत विकास योजना:** इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को 24x7 घंटे विद्युत की आपूर्ति, एटी एंड सी हानियों में कमी और सभी घरों को विद्युत पहुँच उपलब्ध कराना है। स्कीम में तीन मुख्य घटक अर्थात शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण प्रणाली का सुधार, मीटरिंग और चालू आर-एपीडीआरपी योजना जिसे आईपीडीएस के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, के अंतर्गत वितरण क्षेत्र में आईटी को सक्षम बनाना शामिल है, आर-एपीडीआरपी में दो मुख्य घटक हैं। भाग क में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित ऊर्जा लेखा तथा परियोजना क्षेत्रों में सत्यापन योग्य बेसलाइन एटी एंड सी हानि स्तरों को अंतिम रूप देने वाली लेखा परीक्षा प्रणाली की शुरूआत हेतु परियोजनाएं शामिल हैं। भाग ख में हानि स्तर में कमी लाने वाले वितरण नेटवर्क सुदृढ़ीकरण निवेशों पर विचार किया जाता है। इस योजना में अनुदान और ऋण घटक दोनों हैं।

6.01. **केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) को अंतरण:** इस योजना के तहत धनराशि केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से पूरी की जाती है।

6.02. **आईपीडीएस अनुदान:** एक विशेष समय सीमा के भीतर योजना के तहत गतिविधियों को पूरा करने के लिए नोडल एजेंसी के माध्यम से उपयोगिता को दिया जाता है।

6.03. **आईपीडीएस ऋण:** नोडल एजेंसी के माध्यम से गतिविधियों को पूरा करने के लिए उपयोगिताओं को ऋण दिया गया है, जो कार्यक्रम के सफल समापन के बाद अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा।

6.07. **स्मार्ट मीटरिंग हेतु स्कीम:** स्मार्ट मीटरिंग को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय आधार पर स्मार्ट मीटर की आपूर्ति और उसे लगाने के लिए भारत सरकार के वित्तपोषण की स्कीम।

7.01. **स्मार्ट ग्रिड:** इस स्कीम में "राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन" को शुरू करके संस्थागत तंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है जोकि ऑटोमेशन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की आवश्यकता को पूरा करेगी जो उत्पादन बिन्दु से उपभोग बिन्दु तक विद्युत प्रवाह की निगरानी कर सकती है और विद्युत प्रवाह का नियंत्रण या वास्तविक समय आधार पर उत्पादन के अनुरूप भार की कमी सुनिश्चित कर सकती है।

7.02. **हरित ऊर्जा कॉरिडोर:** इस स्कीम में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा और स्थायित्व से समझौता किए बिना नवीकरणीय उर्जा उत्पादन को अधिकतम करने और मुख्य ग्रिड के साथ एकीकरण करने का प्रस्ताव है।

7.03. **राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए ब्याज सब्सिडी:** आरजीजीवीवाई तथा आर-एपीडीआरपी स्कीमों (जो क्रमशः डीडीयूजीजेवाई तथा आईपीडीएस में समाहित की गई हैं) परियोजना क्षेत्रों द्वारा शामिल न किए गए क्षेत्रों के लिए, वितरण नेटवर्क को सुधारने के लिए सार्वजनिक तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को संवितरित किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एन.ई.एफ.) की स्थापना की जा रही है।

7.05. **कारगिल के माध्यम से श्रीनगर से लेह दौ सौ बीस केवी ट्रांसमिशन लाइन:** यह प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर (जे एंड के) में एलुस्टांग (श्रीनगर) से लेह (वरास्ता द्रास, कारगिल एवं खलस्ती 220/66 पीजीसीआईएल उपकेंद्र) तक 220 केवी पारेषण प्रणाली के निर्माण तथा द्रास, कारगिल, खलस्ती और लेह उपकेंद्रों के लिए 66 पीजीसीआईएल अंतर संयोजन प्रणाली के निर्माण के लिए है।

7.06. **पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर (कार्यक्रम घटक):** विश्व बैंक छह पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं नागालैंड के लिए उक्त नई परियोजना के लिए वित्त पोषण करेगा (डीईए तथा योजना आयोग के परामर्श पर, संवेदनशील सीमा क्षेत्रों अर्थात अरूणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की परियोजनाओं को विश्व बैंक के वित्त पोषण से अलग रखा गया था)। अतः सिक्किम एवं अरूणाचल प्रदेश की अंतः-राज्य पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं को भारत सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए अलग कर दिया गया है।

7.08. **अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण:** सिक्किम सहित संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में पारेषण, उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की व्यापक स्कीम की संकल्पना की जा चुकी हैं।

8. **पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड:** स्कीम में अनुदानों के माध्यम से आंशिक वित्तपोषण द्वारा वर्तमान वितरण एवं पारेषण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण (गैर-गैस घटक) (ख) स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों (गैस घटक) से विद्युत खरीदकर डिस्कॉमों के लिए सब्सिडी के प्रावधान की परिकल्पना की गई है।

9. **सुधार आधारित वितरण स्कीम:** वितरण उपक्षेत्र के लिए परिणाम और सुधारों के आधार पर वित्तीय सहायता के मिश्रण के रूप में सभी के लिए 24x7 टिकाऊ बिजली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक योजना, और एक आर्थिक रूप से व्यवहार्य वितरण क्षेत्र. यह योजना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों , डिस्ट्रीब्यूशन लेवल विभिन्न सप्लाई फ्रैंचाइजी सहित विभिन्न फ्रैंचाइजी मॉडल्स को अपनाने, रिफॉर्म पैकेजों को अपनाने के मामले में डिस्काम को समर्थन की परिकल्पना करती है.

10.01. **केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान:** केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, इलैक्ट्रिकल पावर के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में सेवाएं प्रदान करता हैऔर परीक्षण, मूल्यांकन और वैद्युत उपकरण और घटकों के सत्यापन के लिए भी स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

10.02. **राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान:** राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान विद्युत स्टेशनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण सहित विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।

11. **संरक्षण और ऊर्जा दक्षता:** बीईई को घरेलू प्रकाश व्यवस्था, वाणिज्यिक भवनों, उपस्करों का मानकीकरण और लेबलीकरण, कृषि अथवा नगरपालिकाओं में मांग पक्ष प्रबंधन, उप क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानकों के विकास की प्रक्रियाकी शुरूआत सहित एसएमई तथा बड़े उद्योग, एसडीए, डिस्कॉम इत्यादि का क्षमता निर्माण सरकार द्वारा की गई इन पहलों से ऊर्जा खपत की दक्षता बढ़ेगी और ऊर्जा खपत की वृद्धि दर कम होगी।

12.01. **नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड:** एनएचपीसी लिमिटेड की स्थापना सन् 1975 में केन्द्रीय क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के त्वरित, दक्ष और किफायती निष्पादन एवं प्रचालन को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। एनएचपीसी भारत सरकार की अनुसूची क (मिनी रत्न) का एक उद्यम है। पूंजी परिव्यय चटक एचईपी/नीमू बाज्गो हेतु निधियों की अंशत: पूर्ति करने के लिए है।

12.02. **टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी):** टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच इक्विटी की हिस्सेदारी 3:1 के अनुपात में है। कंपनी को भागीरथी घाटी में 2400 मेगावाट टिहरी हाइड्रो पावर काम्प्लेक्स तथा अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिये जुलाई 1988,में निगमित किया गया था। पूंजी परिव्यय विष्णुगढ़ पीपलकोटी एचईपी पर व्यय को अंशत: पूरा करने के लिए है।

12.03. **नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको):** नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको), जो कि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दिनांक 2 अप्रैल, 1976 को स्थापित अनुसूची 'क' मिनिरत्न कम्पनी है, का उद्देश्य विद्युत परियोजनाओं के योजनाबद्ध विकास तथा चालू करने के माध्यम से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेषबल देते हुए भारत और विदेश में विद्युत क्षमता का विकास करना है। इससे देश के समग्र विकास और विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।यह पूंजीगत परिव्यय आवश्यकताओं के अनुसार कामेंग हाइड्रोपावर पर होने वाले व्यय को कुछ हद तक पूरा करने के लिए है।

12.04. **चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी 2015 के तहत पाकुल डुल हाइड्रोपावर हेतु केंद्रीय सहायता:** यह प्रधानमंत्री जम्मू एवं कश्मीर विकास पैकेज (2015) का भाग है। सहायता चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से कार्यान्वित पकलदुल परियोजना के लिए है।

12.05. **भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (पीएफसी बांड):** पीएफसी द्वारा अवसंरचना बांड पर देय ब्याज, बांड जारी करने और संबंधित खर्चों के लिए अपेक्षित है।

12.06. **भारत सरकार द्वारा पूर्णतः ऋण शोधन बांड निर्गम व्यय और ब्याज (आरईसी बांड):** डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य (ग्रामीण) के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 4000 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 15000 करोड़ रुपये ईबीआर के कारण ब्याज भुगतान जुटाए गए।

12.07. **एनटीपीसी द्वारा लौहारी नागपाला हाइड्रो पावर पर पहले ही किए गए किसी व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति:** यह योजना लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना के संबंध में पुरस्कार के वितरण के लिए है।

13. **एनटीपीसी के लिए कोयला क्षेत्रों का अधिग्रहण:** एनटीपीसी के लिए कोयला असर वाले क्षेत्रों के अधिग्रहण पर एनटीपीसी से रिकवरी के माध्यम से मुलाकात के रूप में आवंटन बजट तटस्थ है।

14. **सीपत, छत्तीसगढ़ में एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट:** सीपत, छत्तीसगढ़ में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना की स्थापना।

15. **केओडब्ल्यूईपीओ मामले में कानूनी फर्म पीएंडए लॉ एसोसिएट्स को भुगतान:** भारत सरकार की ओर से प्रतिरक्षा मामले तथा विवाद के लिए इंडिया कोरिया सीईपीए तथा इंडिया कोरिया बीआईटी के अंतर्गत कानूनी फर्म को भुगतान

16. **एसडीएमसी - बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को भुगतान:** बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के संबंध में भूमि के पट्टे पर लिए जाने के कारण दक्षिण दिल्ली नगर निगम को भुगतान।

17. **सक्षम अवसंरचना अर्थात सड़कों एवं पुलों के लिए लागत सहायता:** जल परियोजना के स्थल पर सक्षम अवसंरचना अर्थात सड़कों एवं पुलों आदि के विकास के लिए आबंटन।

18. **बाढ़ मंदन भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता:** जल विद्युत परियोजनाओं में बाढ़ मंदन भंडारण के लिए सहायता हेतु आबंटन।

19. **विवाद निपटान प्राधिकरण:** सेक्शन 79(1)(च) - विद्युत् एक्ट, 2003 के अंतर्गत विवाद समाधान प्राधिकरण का प्रावधान है जिसके अंतर्गत विद्युत् लिसेंसी एवं ऊर्जा उत्पादन एजेंसी से सम्बंधित विवाद का निपटारन किया जाना प्रस्तावित है.